अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

# पत्रिका

जनवरी 2011 केवल सदस्यों के लिए मूल्य 3 रूपए

## मिड डे मील मजदूरों का संसद के आगे प्रदर्शन

# नव वर्ष तथा हमारे आगामी कार्य

ए के पद्मनाभन

वर्ष 2001 – 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक का पहला वर्ष! यह नया वर्ष हमें उन महान समारोहों तथा घोषणाओं की याद दिलाता है जो नयी सहस्त्राब्दि का समारम्भ होने के समय की गईं थीं। उन समारोहों के कारोबारी पहलुओं की बात जाने दीजिए। कामरेड फीदेल कास्त्रो ने उस समय कहा था कि इन समारोहों का आयोजन 2000 में ही होने लगा था क्योंकि ये बड़े कारोबारी महत्व के थे।

राजनीतिक दृष्टि से आयोजित इन अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों तथा संगोष्ठियों में बड़ी–बड़ी घोषणाएं की गई जो उच्च भावनाओं से ओत पोत थीं। सस्त्राब्दि लक्ष्य घोषित किए गए जिन पर आर्थिक शक्तियों से सराबोर सभी शीर्ष घरानों ने अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई थी। गरीबी को मिटा देने ; भूख का नामो निशां मिटा देने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के मानदण्डों में सुधार लाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। असल में हुआ क्या और अब क्या हो रहा है? प्रत्येक देश के बारे में अब यह सहमति तो प्रायः हो चुकी कि इन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। वर्ष 2020 में लक्ष्य को पाने के लिए एक वर्ष में स्थिति में जितना सुधार होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है और हम उसके निकट भी नहीं पहुंचे।

पहले दशक ने बदतरीन आर्थिक संकट को देखा था और यह संकट विश्व में सभी देशों में आया। हम आर्थिक संकट की मार का दुष्प्रभाव प्रत्येक देश पर पड़ा हुआ देख सकते हैं। तथाकथित विकसित विश्व इस समय तक संकट के दंश के दर्द को झेल रहा है। ऐसे में मंदी से उभरने की जो आशाएं लगाई जा रही हैं, उनका क्या अर्थ रह जाता है?

अब ग्रीस तथा आयरलैंड में यह संकट सार्वभौम ऋण संकट का रूप ले चुका है और दूसरे युरोपीय देशों में भी फैल रहा है। पूंजीवाद के जिन महारथियों ने उछल–उछल कर सोवियत संघ का पराभव होने पर जश्न मनाए थे और उसे एक इतिहास का अंत तक कह डाला था, अब क्या कर रहे हैं? वे उन कारणों की खोज कर रहे हैं जिन के कारण यह संकट पैदा हुआ है। इन्हीं पुरोधाओं ने "समाज के हित में" सरकारों को गरीबों तथा साधारण जनता के कल्याण पर खर्च न करने और इस समय संकट के चलते बदतरीन स्थिति में पहुंच चुके संस्थानों तथा निगमों को भारी भरकम छूटें देकर माला माल करने के आदेश दिए थे।

उन नैगम घरानों पर बेलआउट के रूप में लाखों करोड़ों डालरों की वर्षा कर दी गई। उसका परिणाम क्या निकला; वे तो खतरे से बाहर निकल गए किन्तु स्वयं उन्हीं के द्वारा पैदा किए गए संकट के चलते लाखों मजदूर अपनी रोज़ी–रोटी खो चुके हैं और इस समय सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हैं। उन लाखों मजदूरों जो अपनी आजीविका से वंचित हो गए हैं, में से कुछेक को आकस्मिक एवं अंशकालिक रोजगार में लगने पर विवश किया जा रहा है। संकट की सबसे बुरी मार कामकाजी महिलाओं पर पड़ी है; उनकी विशाल संख्या को रोजगार से निकाल दिया गया है और ओर उसे असंगठित क्षेत्र में काम करने पर मजबूर किया जा रहा है जहां उन्हें न सामाजिक प्राप्त होते हैं और न सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब ये लोग बचत कर रहे हैं। बचत करने के नाम पर मजदूरों के वेतनों में कटौतियां की जा रही हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने से इन्कार किया जा रहा है, उनकी रोजगार क्षतियों की भरपाई नहीं की जा रही है। क्योंकि बड़े करोड़पतियों को बेलआउट पैकेज देनें के नाम पर भारी भरकम छूटें और रियायते दिए जाने के चलते सरकारी खजाना पहले ही खाली हो चुका है, इसलिए वे मजदूरों के हक मार कर बचत करने पर मजबूर हैं, "बेचारे!"

युरोप तथा अमरीकी महाद्वीप के प्रत्येक देश ने बचत अर्थात् खर्चों में कटौती करने के अनेक कदम उठाने की घोषणाएं की हैं जिनके परिणामस्वरूप पिछले कुछ महीनों में लाखों मजदूर सड़कों पर आ चुके हैं, वे हड़तालें कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों तथा रैलियों में उनके साथ लाखों छात्र तथा नौजवान भी शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनकी फीसें बेहद बढ़ चुकी हैं और उनके शिक्षा खर्चे बेतहाशा बढ़ गए हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, ग्रीस तथा स्पेन में इन संघर्षों में छात्रों की विशाल संख्या के भाग लिए जाने के समाचार मिले हैं। सत्ताधारी श्रेणियां इस पर बहुत चिंतित हो रही हैं क्योंकि उनका पिछला अनुभव यही दर्शाता है कि जब मजदूर तथा छात्र एक साथ मिल कर संघर्ष के मैदान में निकल पड़ते हैं तब वे सरकारों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं!

भारत, जिसकी शान अमरीका तथा फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह कह कर बढ़ाई है कि उसकी अर्थव्यवस्था न केवल विकास कर रही है बल्कि यह एक उदीयमान अर्थव्यवस्था है, भी एक के बाद दूसरे संकट की चपेट में आ रहा है।

इस देश के मजदूर वर्ग तथा गरीब लोगों में महंगाई और बेरोजगारी क्या कहर बरपा रही है इसके अधिक कहने की जरूरत नहीं। यूपीए–द्वितीय सरकार की ओर से नव–उदारवादी नीतियों को पूरी ताकत के लागू किए जाने के कारण पैदा हुई स्थिति में मेहनतकश अवाम के सामने इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष के मैदान में आने के अलावा और

कोई रास्ता नहीं रहा। यह कारण है कि 2010 संघर्ष की ऐतिहासिक जन कार्रवाईयों का वर्ष रहा।

शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार विकराल रूप धारण कर चुका है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी स्तम्भों का गहरा क्षरण हो चुका है। भ्रष्टाचार के माध्यम से हड़पे जाने वाले धन का उपयोग चुनावों के समय लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। देश की दुःखी एवं पीड़ित जनता का संसद में प्रतिनिधित्व करोड़पति लोगों द्वारा किया जा रहा है, यह एक विडम्बना है।

सात सितम्बर की हड़ताल और पांच सूत्रीय मांगों जिन पर सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा राष्ट्रीय फैडरेशनों ने सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई थी, ने संयुक्त ट्रेड यूनियन कार्रवाईयों के नए अध्याय को खोल दिया है।

कामकाजी स्थलों पर संघर्ष की अधिक से अधिक कार्रवाईयां किए जाने की जरूरत है क्योंकि हमारे ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार जो संविधान में दर्ज हैं और बहुत पहले कानून का रूप ले चुके थे, पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर संघर्ष के संयुक्त मंच का विस्तार करने से मजदूरों, मेहनतकश अवाम तथा दूसरी प्रभावित एवं पीड़ित श्रेणियों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी और वे इससे ताकत हासिल करके सरकार को अपने पक्ष में कार्रवाई करने और या कम से कम हंगामी तौर पर मजदूर वर्ग को राहत देने के लिए मजबूर कर सकेंगे।

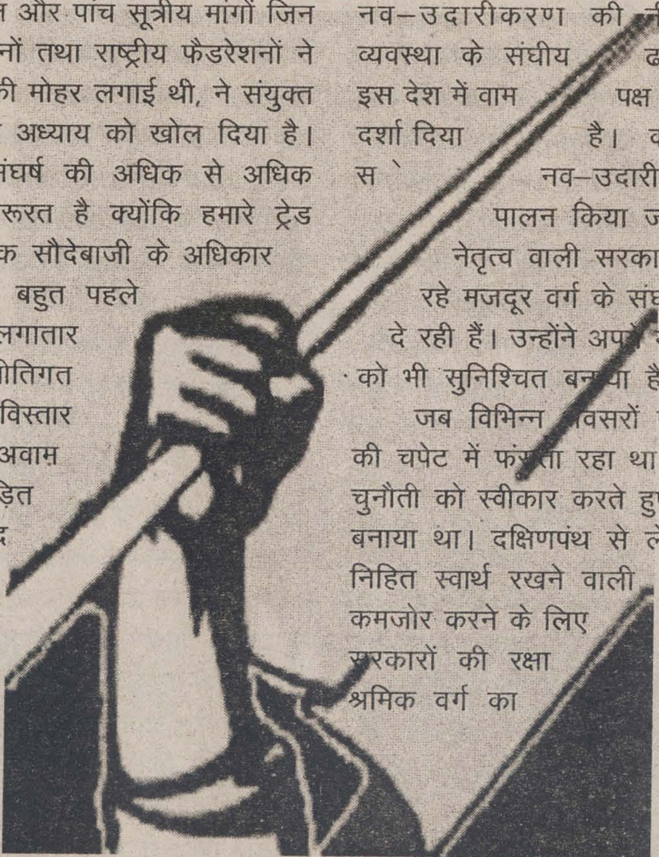

भारत सरकार साम्राज्यवादी देशों के दबाव के आगे अधिक से अधिक झुक रही है और इस तरह गरीब लोग लगातार इसकी पीड़ाएं झेल रहे हैं या झेलते रहेंगे। भारत के श्रमिक संगठनों द्वारा तात्कालिक मांगों को लेकर सामान्य सहमति के साथ अधिक से अधिक संघर्ष चलाने होंगे। देश में मानवीय जीवन पर लगातार और सुनियोजित हमले हो रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण घटना विकास है।ये हमले केवल राजनीतिक एवं विचारधारक स्तर पर नहीं हो रहे अपितु श्रमिक संघों तथा दूसरे जन संगठनों के स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का व्यापक नर संहार हो रहा है। महिलाओं तथा बच्चों पर भी प्राण घातक हमले हो रहे हैं। माओवादियों तथा वाम पक्ष की दूसरी विरोधी ताकतों का गठबंधन विशेष तौर पश्चिम बंगाल में, जिस बर्बरता से गरीब लोगों पर हमले कर रहा है, उसका व्यापक जन लामबंदियों के माध्यम से जनता द्वारा तीव्र प्रतिकार किया जा रहा है।

इस वर्ष अर्थात् 2011 में तमिलनाडु तथा असम के साथ-साथ पश्चिम बंगाल तथा केरल विधान सभाओं के चुनाव भी होने जा रहे हैं। श्रमिक वर्ग को इन चुनावों में प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

राज्य सरकारें सीमित अधिकार अथवा शक्तियां होने पर भी जन साधाराण – मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों, छोटे कारोबारियों तथा दूसरे लोगों के हितों की रक्षा करने की दिशा में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। भले ही नव-उदारीकरण की नीतियों के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था के संघीय ढांचे का क्षरण क्यों न हो रहा हो। इस देश में वाम पक्ष के नेतृत्व वाली सरकारों ने यह दर्शा दिया है। क्योंकि केन्द्रीय सरकार की ओर से नव-उदारीकरण की आर्थिक नीतियों का पालन किया जा रहा है इसलिए वाम पक्ष के नेतृत्व वाली सरकारें इन नीतियों के खिलाफ चल रहे मजदूर वर्ग के संघर्षों में उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने यहां लोगों के जनवादी अधिकारों को भी सुनिश्चित बनाया है।

जब विभिन्न अवसरों पर पूरा देश साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में फंसता रहा था तब वाम पक्षी सरकारों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जनता की सुरक्षा को यकीनी बनाया था। दक्षिणपंथ से लेकर चरम वाम पंथ तक सभी निहित स्वार्थ रखने वाली शक्तियां इन सरकारों को कमजोर करने के लिए एकजुट हो चुकी हों, तब इन सरकारों की रक्षा के लिए आगे आना भारत के श्रमिक वर्ग का कर्तव्य हो जाता है। आगामी चुनावों को एक अवसर के रूप में लेकर इस अवसर का उपयोग करते हुए जनता के बीच जाकर उसे वाम पक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों का महत्व समझाना होगा। लोगों को याद दिलाना होगा कि वाम पक्ष के नेतृत्व वाली इन राज्य सरकारों ने नव-उदारीकरण की आर्थिक नीतियों को अंधाधुंध लागू करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी। नव-उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के महारथी इस तथ्य से परिचित हैं और वे इसी लिए विभिन्न स्तरों पर वाम पक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं।

चण्डीगढ़ महाधिवेशन में निर्धारित कार्यो को पूरा करने के अतिरिक्त सीआइटीयू की यूनियनों को यह राजनीतिक दायित्व भी पूरा करना होगा और उन्हें इसके महत्व को समझते हुए नव-उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। नव वर्ष 2011 के लिए हमारा यही प्रण होना चाहिए!

# मिड डे मील श्रमिकों का संसद के आगे प्रदर्शन

ए आर सिंधु

*"हम कैसे जी रहे हैं, यह देखने की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ? मै खाना पकाने के लिए लकड़ी और पानी बहुत दूर कई किलोमीटर दूर से उठाकर लाती हूं। कई बार खाना पकाने के लिए मुझे तेल और मसाला भी खुद लेकर आना पड़ता है। स्कूल के हैडमास्टर और टीचर मुझसे विद्यालय परिसर और कक्षाएं भी साफ करवाते हैं, हालांकि ये मेरा काम नहीं है। हमें हर तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। जब भी हम अपने मानदेय की बात करते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि अभी तक पैसा पहुंचा नहीं है। हमें केवल तीन सौ रू दिए जाते हैं और इतनी मामूली सी राशि प्राप्त करने के लिए भी हमें चार– पांच माह तक इंतज़ार करना पड़ता है। और जब पैसा आता है तब "बाबू" और "पंच" उसमें से पहले ही अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। हम एक साल से सुन रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़कर 1000रू हो गया है लेकिन आज तक हमें मिला नहीं। जब यूनियन इस मुद्दे को जिला और प्रशासन के समक्ष उठाती है तब जवाब मिलता है कि बजट नहीं है। हम बच्चों को खाना खिलाते हैं – खाना पकाते हैं, परोसते हैं, परिसर की सफाई भी करते हैं। तो सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती? सरकार को यह क्यों नही दिखता कि कोई भी परिवार 1000रू प्रतिमाह की आमदनी में जीवित नहीं रह सकता। अब हमारी यूनियन है। हम सीटू के झंडे तले संघर्ष करते हैं और हमें विश्वास है कि हमें हमारा हक जरूर मिलेगा।"* ये कहना था –एक मिड डे मील वर्कर का जोकि 25 नवम्बर 2010 को नई दिल्ली में मिड डे मील श्रमिकों के संसद मार्च में भाग लेने आई थीं।

पांच हजार से अधिक मिड–डे मील श्रमिकों ने 25 नवम्बर, 2010 को नयी दिल्ली में मिड–डे मील श्रमिकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) के झण्डे तले अपनी मांगों के लिए संसद के आगे जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आयोजन जहां कानूनी तौर पर देय न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्शन जैसे लाभों के लिए किया गया था वहीं मिड–डे मील सेवाओं के निजीकरण के लिए सरकार की कोशिशों के प्रति विरोध जताने के लिए किया गया था।

इस प्रदर्शन में आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के मिड–डे मील श्रमिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित रैली और प्रदर्शन की शुरूआत सीआइटीयू के अध्यक्ष ए के पद्मनाभन ने की। उन्होंने अपने भाषण में मिड–डे मील श्रमिकों को आह्वान किया कि वे न्यूनतम वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी अपनी न्यायोचित मांगों के लिए तथा इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं।

रैली को तपन सेन (महासचिव, सीआइटीयू), सीताराम यैचुरी, वृंदा कारात, ए सम्पत तथा वासुदेव आचार्य इत्यादि सांसदों ने भी सम्बोधित किया और आंदोलनकारी मिड–डे मील श्रमिकों के साथ एकजुटता व्यक्त की और श्रमिकों को विश्वास दिलाया कि वे संसद के भीतर तथा संसद के बाहर उनके संघर्ष को अपना समर्थन देते रहेंगे और उनकी मांगों के पक्ष में पुरजोर आवाज उठाएंगे। इसके अतिरिक्त एडवा की नेत्री आशालता, एसएफआइ नेता तथा सांसद पी के बिजु, शिक्षा बचाओ राष्ट्रीय मंच के नेता विजयेन्द्र शर्मा, आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अखिल भारतीय फैडरेशन की महासचिव हेमलता, आशा श्रमिकों की समन्वय समिति की रंजना निरूला तथा सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव दीपंकर मुखर्जी इत्यादि ने रैली को सम्बोधित करते हुए मिड–डे मील श्रमिकों के आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की।

विभिन्न राज्यों से आए मिड–डे मील श्रमिकों के नेताओं ने भी रैली को सम्बोधित किया। इस अवसर पर मिड–डे मील श्रमिकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की संयोजक ए आर सिंधु ने मांग पत्र पेश किया।

बाद में एक सर्वसाथी तपन सेन संसद सदस्य तथा ए आर सिंधु के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मानव संसाधन राज्य मंत्री श्रीमती पुरंदरी देवी से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन भेंट किया। मंत्री महोदया ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि मिड–डे मील श्रमिकों को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जाएगा और वह इन श्रमिकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मिड–डे मील श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राज्यों की है। बाद में मिड–डे मील श्रमिकों की सभा में 21 मार्च 2011 को देश भर में विरोध दिवस मनाने और राज्यों की विधान सभाओं के आगे प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया।

उल्लेखनीय है कि ''मिड डे मील योजना'', सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के 'प्रमुख कार्यक्रमों' में से एक है। देश भर में लगभग 11.74 करोड़ बच्चे इस योजना में शामिल हैं। इस योजना से खासकर गरीब स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कटौती करने में मदद मिलती है।

लगभग 20 लाख मजदूर, जिनमें अधिकतर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाएं शामिल हैं, इस योजना के तहत बच्चों के लिए खाना पकाकर खिलाती हैं। यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि इन कर्मचारियों को, जो देश के भविष्य को आकार देने में मदद कर रहे हैं, इनको श्रमिकों के रूप में मान्यता तक भी प्राप्त नहीं हैं। इन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा, हालांकि इन्हें इस काम में जैसे – भोजन की तैयारी करना, पकाना, भोजन वितरण, बर्तन साफ करना, परिसर की सफाई करना आदि, में लगभग 5–6 घंटे का समय लग जाता है। इन्हें कोई भी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं है। इसके अलावा, इन्हें बहुत ही कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है और वो भी एक साल में दस महीने के लिए।

हालांकि, यह योजना 1984 से कई राज्यों में और 1995 से पूरे भारत में लागू है परन्तु मिड डे मील श्रमिकों को अक्सर उत्पीड़न और यहां तक की छंटनी का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी सेवा नियम उन पर लागू नहीं है, इसलिए वे स्कूल के प्रधानाध्यापकों या स्थानीय पंचायत सदस्यों की दया पर निर्भर हैं।

भारत में बढ़ती गरीबी के संदर्भ में, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना को मजबूत बनाया जाए और इसे सर्वव्यापी किया जाए। लेकिन यूपीए सरकार की नवउदारवादी नीतियों के कारण जो भारत में गरीबी का कारण बनी हुई हैं, मिड डे मील योजना को मजबूत करने की बजाय यूपीए सरकार पिछले दरवाजे से इस योजना का निजीकरण करने में लगी हुई है। सरकार मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और उचित मात्रा सुनिश्चित करने के लिए उचित आवंटन करने के लिए कतई तैयार नहीं है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के नाम पर मध्याह्न भोजन योजना को उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान –राज्यों में 'वेदांत' जैसी मल्टी नेशनल कंपनियों को सौंप दिया गया है। ये कंपनिया, इस योजना के द्वारा अपने हितों को पूरा करने और कर रियायतें पाने के लिए, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं।

यह योजना 'इस्कॉन' और 'नांदी फाउंडेशन' जैसे गैर सरकारी संगठनों को भी सौंपी गई है। ये गैर सरकारी संगठन योजना लागू करने के लिए पैसा तो सरकार से लेते हैं, लेकिन स्वयं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, जैसे ये स्वयं 'भारत के गरीब बच्चों' को खाना खिला रहे हैं, और इस कार्य के लिए देश विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों और व्यक्तियों से

पैसा इकट्ठा करते हैं। इस धोखाधड़ी की जांच के लिए कोई प्रणाली लाने की बजाय, सरकारें इन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा आदि जैसे कई राज्यों में, भोजन पकाने का काम स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह, जिनमें गरीब से गरीब महिलाएं शामिल हैं, को इस योजना को चलाने के लिए बर्तन आदि खरीदने के लिए प्रारंभिक निवेश करने को मजबूर किया जा रहा है। सहायता समूह में कार्यरत एक सदस्य को भोजन पकाने के लिए जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वो है प्रति माह केवल 250 रुपये; जोकि बहुत ही मामूली सी राशि है।

इसके अलावा ये गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूह, इस योजना के मुख्य उद्देश्य कि गरीब कुपोषित बच्चों को ताजा पकाया हुआ स्थानीय भोजन दिया जाए, को दरकिनार कर हजारों मध्याह्न भोजन श्रमिकों की आजीविका को खतरे में डालकर इनके द्वारा संचालित रसोई को केंद्रीकृत कर रहे है। विषेशज्ञों के अनुसार, केंद्रीकृत रसोई में वितरण से पूर्व कई घंटे पहले तैयार किए गए भोजन में इसके पोषक गुण समाप्त हो जाते हैं।

केंद्र सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कोई समान मार्गदर्शन नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में सरकारों ने अपने पहले नियम, जो प्रत्येक स्कूल में 2 श्रमिकों को नियोजित करने के लिए नियम थे, को बदल दिया है और लगभग 6 साल से मिड डे मील योजना में कार्यरत सैंकड़ों श्रमिकों की छंटनी शुरू कर दी है।

अखिल भारतीय मिड डे मील कर्मचारी समन्वय समिति (सीटू), मध्याह्न भोजन श्रमिकों के अधिकारों और मध्याह्न भोजन योजना को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे लगातार अभ्यावेदनों और संघर्षों के कारण जिनमें राज्य स्तरीय प्रदर्शन, धरने, रैली आदि शामिल हैं, मजबूर होकर सरकार को मिड डे मील कर्मचारियों के लिए 1000रू प्रतिमाह की मानदेय राशि तय करनी पड़ी। लेकिन कई राज्यों में इस मामूली सी राशि का लागू किया जाना अभी भी बाकी है। पीएफ, ईएसआई, और पेंशन आदि सहित सामाजिक सुरक्षा की मांग पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। यूपीए सरकार इन मिड डे मील श्रमिकों के काम की परिस्थितियों के लिए एक समान दिशा निर्देशों तय करने के लिए भी तैयार नहीं है। यहां तक कि संबंधित मंत्री भी राज्य सरकारों पर दोश डाल कर अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहे है।

यूपीए सरकार के इस कठोर रवैये के प्रति उत्तेजित होकर मिड डे मील वर्कर्स देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए अखिल भारतीय मिड डे मील कर्मचारी समन्वय समिति (सीटू), द्वारा 25 नवम्बर 2010 को ''संसद मार्च'' का आयोजन करने का फैसला लिया गया था।

## मिड डे मील मजदूरों की मुख्य मांगें

**1. मिड डे मील का निजीकरण न हो। इस्कॉन तथा नंदी जैसे एन जी ओ और वेदांता जैसे कारपोरेटों को भोजन का काम देना फौरन बंद किया जाए।**

**2. मिड डे मील मजदूरों की छंटनी न हो।**

**3. मिड डे मील योजना को नियमित किया जाए। मिड डे मील मजदूरों को स्कूल के कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं। पूरे देश में एक समान सेवा नियम लागू करें।**

**4. मजदूरों को नियमित किए जाने तक एम डी एम मजदूरों को साल में बारहों महीनें न्यूनतम वेतन दिया जाए। बकाए के साथ 1000रू0 माहवार का फौरन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। डिफाल्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइ की जाए।**

**5. तमाम स्कूलों में, मिड डे मील मजदूर नियुक्त किए जाएं। तब तक स्व–सहायता समूहों के बिलों का नियमित भुगतान किया जाए।**

**6. ई एस आइ, बीमा, पी एफ तथा पेंशन समेत सामाजिक सुरक्षा लाभ सभी मिड डे मील मजदूरों को मुहैया कराए जाए।**

**7. सभी मिड डे मील मजदूरों को सुरक्षा भत्ता तथा धुलाई भत्ता दिया जाए।**

**8. गर्भवती मिड डे मील मजदूरों को वेतन के साथ 135 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाए।**

**9. एम डी एम योजना के लिए समुचित मात्रा में और बेहतर गुणवत्तावाला भोजन सुनिश्चित कराने के लिए समुचित फंड आवंटित किया जाए। खाना पकाने के लिए सभी स्कूलों में समुचित बुनियादि ढांचा मुहैया कराया जाए।**

# हरियाणा में मिड डे मील वर्कर्स की रैली

मिड डे मील वर्कर्स की ओर से 31 अक्टूबर, 2010 को रोहतक में एक विशाल रैली का आयोजन करके न्यूनतम वेतन व पक्के रोजगार की मांग को लेकर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। उल्लेखनीय है यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस वर्ष 7 मार्च को मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी मांगों पर आधारित ज्ञापन उन्हें सौंपा था। इसके बाद 13 जून को झज्जर में शिक्षा मंत्री का घेराव किया गया। इस पर शिक्षा मंत्री ने 22 जून को यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए भी बुलाया और 15 दिन के भीतर वर्कर्स की मांगों के बारे में कोई कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया किन्तु सरकार की ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत कुरूक्षेत्र जिले का काम इस्कान को ठेके पर दे दिया गया व दो अन्य जिलों को देने की घोषणा कर दी गई। इसके विरोध में राज्य भर में आन्दोलन करते हुए इस रैली का आयोजन किया गया था।

# राजस्थान में मिड डे मील वर्कर्स का जुझारू प्रदर्शन

मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की ओर से 14 अक्टूबर को डूंगरपुर में मिड डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों की मांगों को लेकर जिला कलैक्टर के कार्यालय के आगे जुझारू प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व यूनियन नेता नारायणलाल ननोमा तथा भीमचन्द कोटेड कर रहे थे। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए सीआइटीयू नेता कामरेड बंशीलाल कलाल ने मिड डे मील वर्कर्स की मांगों के प्रति राज्य सरकार के उदासीन रुख की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी भी विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को नहीं दी जाती; रसोईयों को कई–कई महीनों तक मानदेय नहीं दिया जाता; सरकार द्वारा घोषित 1000 रुपया प्रति माह का भुगतान अभी तक होना शुरू नहीं हुआ। बाद में कामरेड कलाल के नेतृत्व मिड डे मील वर्कर्स का एक प्रतिनिधिमण्डल मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिला और उन्हें एक मांग पत्र भेंट किया गया।

kBdksa ls fuosnu

**पत्रिका परिवार अपने प्रिय पाठकों के संघर्श के अनुभव, रिपोर्ट, संक्षिप्त लेख, कहानियां, कविताएं आदि निम्न पते पर आमंत्रित करता है:**

**संपादक, पत्रिका,**

**बीटीआर भवन, 13 ए राउज़ ऐवेन्यु, नई दिल्ली. 110002;**

**फैक्स: 23221284; ईमेल : aiccww@yahoo.com**

# पश्चिम बंगाल में माओवादियों के हमलों के शिकार व्यक्तियों के प्रति सौहार्दता

पिछले कुछ सालों से, विशेषतः वामपंथ की ससंदीय चुनावी हार के बाद प0 बंगाल में वामदलों के समर्थकों प्रमुखता से सीपीआई(एम) तथा सीआइटीयू के सदस्यों व समर्थकों पर हमलों का संकट गहराता ही जा रहा है। त्रिणमूल कांग्रेस और माओवादी मिलकर इन हमलों को करवा रहे हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी भी इन हमलों से अछूते नहीं हैं। हालांकि आंगनवाड़ी कर्मचारी विशेषतः गरीब परिवारों के बच्चों व महिलाओं को पूरक पोषण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, परन्तु फिर भी वे इन हमलों के शिकार हाने से स्वयं को बचा नहीं पा रहे हैं। उत्तरी 24 परगना, बर्धमान व राज्य के अन्य जिलों में भी बहुत से आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अपहरण किया जा रहा है, उन्हें नंगा कर गांव में घुमाया जा रहा है। कम से कम 4 आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अपहरण किया जा चुका है और एक छबि महतो जोकि आंगनवाड़ी सहायिका थीं, का अपहरण कर, सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। त्रिणमूल – माओवादियों द्वारा लगभग सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है, जबकि ये सभी कर्मचारी आदिवासी हैं और गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, और इन्हीं के कंधों पर अपने परिवार का पूरा दारोमदार है।

इसलिए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन द्वारा अपने साथियों व देशभर के आंगनवाड़ी कर्मचारियों, जोकि त्रिणमूल–माओवादियों के हमलों का शिकार हुए हैं, को व उनके परिवारों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। फैडरेशन की अध्यक्षा, नीलिमा मैत्रा तथा महासचिव हेमलता सहित एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा प0 मिदनापुर के सीटू जिला कमेटी के अध्यक्ष दीपक सरकार के साथ 3 अक्टूबर 2010 को श्रमिक भवन, कोलकाता में एक बैठक की गई और उन्हें पहली किश्त के रूप में एक लाख रू का एक चैक सौंपा गया। इस अवसर पर प0 बंगाल सीटू राज्य कमेटी के अध्यक्ष श्यामल चक्रबर्ती, सीटू राज्य कमेटी के पदाधिकारी, आरती दासगुप्ता, रत्ना दत्ता व प0 बंगाल आईसीडीएस कर्मी समिति व सीटू के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। केरल एवं तमिलनाडु राज्य कमेटियों ने तुरन्त चंदा भेजकर अपना प्रत्युत्तर दिया और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तथा उत्तर प्रदेश राज्य कमेटियों ने चंदा शीघ्र ही भेजने का वायदा किया।

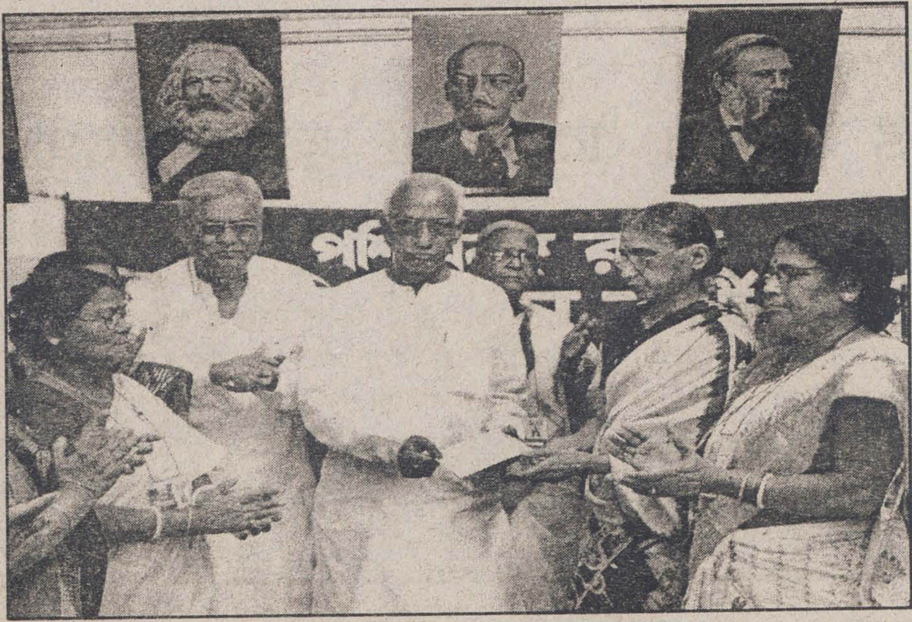

# आइफा कार्यसमिति की बैठक

आइफा कार्यसमिति की बैठक 22–23 नवम्बर 2010 को बीटीरणदिवे भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। विस्तारित बहस के बाद कार्यसमिति में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए–

1. 23 फरवरी 2011 को संयुक्त ट्रेड यूनियनों के "संसद मार्च" के तहत अभियान चलाया जाए और इस अभियान में संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन की मांगों के साथ आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को भी जोड़ा जाए
2. 24 फरवरी 2011 को संसद के समीप आंगनवाड़ी कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशनों के संयुक्त धरने में भागीदारी
3. दिसम्बर माह में संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन

# आंगनवाड़ी फैडरेशनों के संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय सम्मेलन

आंगनवाड़ी फैडरेशनों के संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 24 दिसम्बर, 2010 को गांधी शांति प्रतिष्ठान, नयी दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन ने आंगनवाड़ियों में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को **23 फरवरी, 2011 के संसद मार्च कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान** किया है। ''संसद मार्च'' का आह्वान केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से किया गया है। सम्मेलन में उसके अगले दिन अर्थात् **24 फरवरी को आंगनवाड़ी कर्मचारियों की वि□श मांगों को लेकर संसद के निकट वि□ाल धरना** देने का फैसला किया।

इस सम्मेलन में देश भर से आए लगभग 200 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया जो चार प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संगठनों –एटक, सीआइटीयू, एचएमएस तथा इंटक से सम्बन्ध रखते थे। वे न केवल राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाली आंगनवाड़ी फैडरेशनों के संयुक्त मोर्चे का गठन करने के लिए आए थे अपितु उनकी ओर से इस अवसर पर एक घोषणा पत्र भी पारित किया गया।

सम्मेलन की अध्यक्षता एस विजयलक्ष्मी (एटक), नीलिमा मैत्रा (सीआइटीयू), गिरीश पांडे (एचएमएस) तथा शशि कपूर (इंटक) पर आधारित अध्यक्ष मण्डल ने की जबकि एटक की सचिव अमरजीत कौर ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सीआइटीयू की राष्ट्रीय सचिव के हेमलता ने सम्मेलन के घोषणा पत्र का प्रारूप पेश किया जिसका अनुमोदन एटक की ओर से अमरजीत कौर तथा सरोज, सीआइटीयू की ओर से उषा रानी तथा सरोज शर्मा, एचएमएस की ओर से चम्पा वर्मा तथा उषा त्यागी और इंटक की ओर से अनुसूया शर्मा इत्यादि नेताओं ने किया। गिरीश पांडे ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

सम्मेलन ने जनवरी 2011 में एक प्रतिनिधिमण्डल के रूप में केन्द्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करने और उन्हें आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर आध ारित ज्ञापन भेंट करने का निर्णय लिया।

## आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

- आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को क्रमशः ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाए और उन्हें प्राप्त सभी लाभ उपलब्ध कराए जाएं जिसके साथ– साथ केंद्रों को पूरा दिन चलाया जाए
- तब तक, आंगनवाड़ी सेविकाओं को कुशल श्रमिक और सहायिकाओं को अर्धकुशल श्रमिक के बराबर न्यूनतम वेतन दिया जाए; आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन को स्वतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर महंगाई भत्ता दिया जाए
- सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड सहित सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराए जाएं
- आईसीडीएस का किसी भी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाए जिसमें गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, कोरपोरेट आदि को सौंपना भी शामिल है; आईसीडीएस के क्रियान्वन का पूरा उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निभाया जाए
- सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला जाए
- आंगनवाडी केंद्रों में सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिनमें, पक्की इमारत, शौचालय व स्वच्छ पीने का पानी भी शामिल है; तक तक आंगनवाडी केंद्रों के किराए क्री राशि बढाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनवाड़ी केंद्रों में ताज़ा पकाया हुआ भोजन अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर वितरण किया जाए
- आंगनवाडी सेविकाओं और सहायिकाओं को ईएसआई लाभ सुनिश्चित किए जाएं
- आंगनवाडी सेविकाओं व सहायिकाओं के लिए सरकार की बीमा योजना का क्रियान्वन सुनिश्चित किया जाए

# महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की हड़ताल को मिली भारी सफलता

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा अपनी मांगों के लिए पहली बार अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई जो पूरे दस दिन तक चली। यह हड़ताल 18 अक्टूबर, 2010 को शुरू हुई और 26 अक्टूबर को मुख्य मंत्री की ओर से उनकी प्रमुख मांगों को मान लेने व दूसरी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त हुई।

हड़ताल का आह्वान आंगनवाड़ी कर्मचारियों की पांच यूनियनों द्वारा गठित महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति ने किया था। यह जानकारी आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन, महाराष्ट्र की महासचिव कामरेड शुभा शमीम ने दी है। समिति द्वारा 26 अक्टूबर को मुम्बई में महारैली का आयोजन किया गया जिसमें राज्य भर से आई पंद्रह हजार से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। समिति में शामिल यूनियनों के अतिरिक्त कुछ दूसरी यूनियनों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भी महारैली में भाग लिया। महारैली को सीआइटीयू नेताओं सर्वसाथी विवके मोंटेरो, महेन्द्र सिंह, शुभा शमीम के अतिरिक्त एनआरएमयू के नेता कामरेड घोष, एचएमकेपी के नेता साथी गिरीश पांडे इत्यादि ने भी सम्बोधित किया।

इसी बीच राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री सुभाष जनक द्वारा अपने कार्यालय में समिति के नेताओं के साथ एक बैठक की गई। बैठक में सीआइटीयू की ओर से शुभा शमीम तथा अरमैती ईरानी के अतिरिक्त दूसरे श्रमिक संगठनों के नेताओं ने भी भाग लिया।

मंत्री महोदय उत्सव भत्ता बढ़ा कर 500 रुपए करने जिससे कुल राशि 1,000 रुपए हो जाती है, पर सहमत तो हो गए किन्तु जब यूनियन नेताओं ने मानदेय तथा सेवानिवृत्ति के लाभों में बढोतरी करने पर बल दिया तो इस पर उन्होंने अपनी असहमति जताई। इस पर यूनियन नेताओं ने आंगनवाड़ी हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया और बातचीत विफल हो गई।

महारैली चल ही रही थी कि मुख्य मंत्री की ओर से एक संदेश भेज कर उसी शाम को स्टेट गैस्ट हाउस में समिति के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। मुख्य मंत्री ने 25 मिनट तक चली इस बातचीत में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया और वह उनके मानदेय तथा उत्सव भत्ता में बढ़ोतरी करने पर सहमत हो गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रश्न पर मंत्रिमण्डल में विचार किया जाएगा और पंद्रह दिन के भीतर कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

मुख्य मंत्री ने पेन्शन के मुद्दे पर भी विभाग में विचार करने का आश्वासन दिया और बताया कि इसके लिए एक नयी और परस्पर सहमति वाली योजना शुरू करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने समिति को हड़ताल वापस लेने की अपील भी की।

बाद में कृति समिति की बैठक हुई जिस में इस पर विचार किया गया और हड़ताल को एक महीने के लिए निलम्बित रखने का फैसला किया गया।

इसी मध्य यदि सरकार की ओर से मुख्य मंत्री के आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आंगनवाड़ी कर्मचारियों का आंदोलन फिर से 1 दिसम्बर से शुरू करने का आह्वान किया गया और उस समय तक जब तक उनकी मांगों को पूरी तरह मान नहीं लिया जाता।

---

## उड़ीसा में संगठनात्मक कार्यशाला

उड़ीसा आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स एसोसिएशन की संगठनात्मक कार्यशाला 30 सितम्बर 2010 से 1 अक्टूबर 2010 तक पुरी में संपन्न हुई। कार्यशाला में 6 जिलों से 31 यूनियन के सदस्यों ने भाग लिया, ये सदस्य यूनियन के जिला व परियोजना स्तर के नेता थे।

आइफा महासचिव हेमलता ने कार्यशाला का उदघाटन किया और अगस्त में हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों और निर्णयों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में सात सत्र आयोजित किए गए थे ताकि सदस्य आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने में संगठन को बढ़ाने और संघर्षों के महत्व को भली प्रकार से समझ सकें। विभिन्न सत्रों के विषय संगठन के विभिन्न नेताओं जिनमें बिष्णु मोहंती, उड़ीसा सीटू राज्य कमेटी के महासचिव, तथा यूनियन के अध्यक्ष राधा रमन सारंगी भी शामिल थे, द्वारा प्रस्तुत किए गए। कार्यशाला में संगठन को मजबूत करने संबंधी निर्णय लिए गए।

# मध्य प्रदेश - संगठनात्मक कार्यशाला

18, 19 सितम्बर को ग्वालियर के बाल भवन में **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन - सीटू** (म0प्र0) का राज्य स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न हुआ। इस कार्यशाला में 13 जिलों ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, कटनी, सिंगरौली, भोपाल, मुरैना, अनूपपुर, शहडोल, भिण्ड, दतिया, श्योपुर और रायसेन से कुल 62 लोगों ने हिस्सेदारी की।

इस कार्यशाला में सीटू के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान के साथ–साथ आंगनवाड़ी फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव हेमलता और फेडरेशन की राष्ट्रीय सचिव एवं मध्यप्रदेश की प्रभारी ए0आर0 सिन्धु उपस्थित रहीं।

पहले दिन कार्यशाला का उद्घाटन व सभी आये हुये साथियों का स्वागत सीटू के जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। सत्र की शुरूआत सीटू के राज्य महासचिव प्रमोद प्रधान ने सीटू राज्य सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को रखते हुये की। लिखित रिपोर्ट 4 सत्रों में रखी गई।

**प्रथम सत्र**–हमारा विकास और आज की स्थिति, आई.सी.डी.एस. से सम्बन्धित सरकार की नीतियॉं और मजबूत संगठन क्या हैं – पर आधारित था, **द्वितीय सत्र** आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता और अभिलेखों का रखरखाव पर आधारित था जिसकी रिपोर्ट, यूनियन की राज्य महासचिव किशोरी वर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, जिस पर 13 जिलों से आये साथियों के 4 ग्रुप बनाकर चर्चा करवायी गई। चर्चा के बाद सभी जिले के एक–एक साथी ने अपनी बात रखी। **तीसरे सत्र** की रिपोर्ट – जनवादी कार्यप्रणाली यूनियन की राज्य अध्यक्ष विद्याखंगार द्वारा प्रस्तुत की गई और **चौथे सत्र** की रिपोर्ट यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश शर्मा द्वारा रखी गई, जिसका विषय था, स्थानीय मुद्दे व तत्कालिक कार्य।

राष्ट्रीय सचिव ए0आर0 सिन्धु द्वारा सभी सत्रों पर मार्गदर्शन किया गया। फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव ने सत्र के अन्तिम चरण में सभी को सम्बोधित किया।

कार्यशाला के अंत में संगठन को मजबूत बनाने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिनमें प्रमुख हैं – बिना पेंशन ग्रेच्युटी के सेवा समाप्ति नहीं, इस मांग को लेकर सभी जिलों में बैठकें करना और 29 सितम्बर से 8 अक्टूबर तक अभियान चलाकर सभी जिला महिला बाल विकास का अधिकारी कार्यालय का प्रदर्शन कर महिला बाल विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना; नवम्बर, दिसम्बर में भोपाल में दो दिन का महापड़ाव; पांच संभागीय कार्यशालाओं का आयोजन; जिला व परियोजना कमेटियों की संख्या बढ़ाकर दो गुनी करना– आदि।

# कर्नाटक में आंगनवाड़ी मजदूरों के संघर्ष को सफलता मिली

आंगनवाड़ी मजदूरों की नयी पेन्शन नीति और आंगनवाड़ियों में पहले से तैयार भोजन देने की योजना का विरोध करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में 15 नवंबर 2010 से शुरू हुयी अनिश्चितकालीन हड़ताल शानदार रूप से सफल रही। इसमें हजारों की तादाद में मजदूरों ने भाग लिया। राजधानी बंगलौर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल को अभूतपूर्व प्रत्युत्तर दिया गया। हड़ताल को विभिन्न संगठनों का भारी समर्थन मिला। पूर्व सी पी आइ (एम) विधायक जी वी श्रीरामुलु ने अपने पूर्ण समर्थन का इजहार किया। सीआइटीयू की राज्य समिति के महासचिव एस प्रसन्न कुमार चारों दिन विरोध की इस कार्रवाई में शामिल रहे और उन्होंने मजदूरों की मागों का समर्थन किया। बैंक वर्कर्स यूनियन, एसएफआइ , डीवाइएफआइ, ऑटो ड्राइवर्स यूनियन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और दूसरे संगठनों ने भी अपने समर्थन का इजहार किया।

# पंजाब में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सड़क यातायात ठप किया

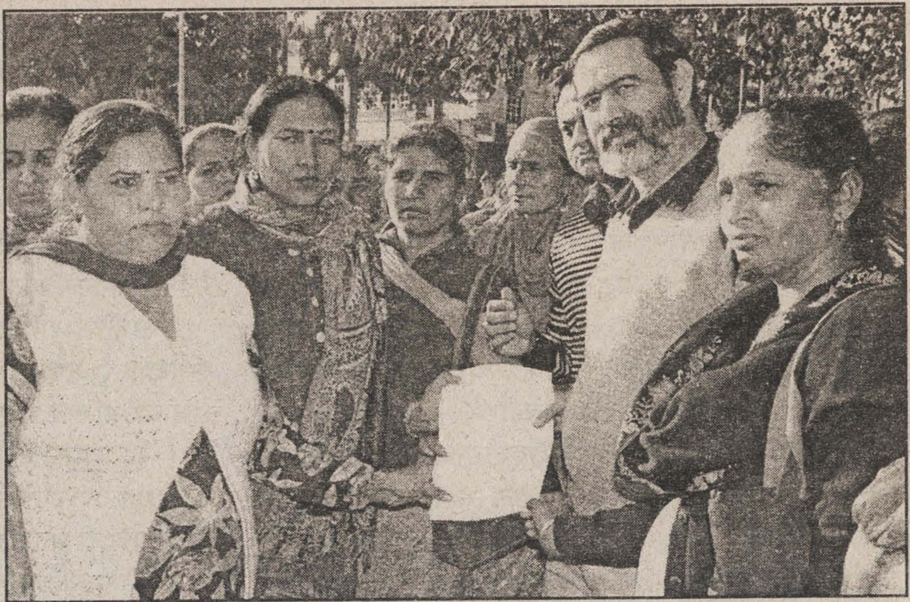

आंगनवाड़ी कमचारियों की ओर से अपनी मांगों पर जोर देने और पंजाब सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 17 दिसम्बर, 2010 को चण्डीगढ़ में पंजाब के समाज कल्याण विभाग के सचिव के कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना दिया गया। उसके बाद वे जुलूस के रूप में अरोमा होटल की ओर रवाना हुई किन्तु सेक्टर 22 के चौराहे पर पुलिस द्वारा उन्हें रोक लिया गया। इस पर उन्होंने वहीं सड़क पर बैठ कर धरना दिया जो दो घण्टे से भी अधिक समय तक जारी रहा। इस के कारण विभिन्न सेक्टरों में सड़क का यातायात बुरी तरह ठप हो गया। पुलिस ने एक हजार से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि धरने के समय पुलिस की ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए महिला पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई तथा पुरुष पुलिस कर्मियों की भारी गार्द को तैनात किया गया। पुलिस वालों ने पासपोर्ट कार्यालय के पास अवरोध खड़े कर दिए और कर्मचारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।

आंगनवाड़ी कर्मचारी मांग कर रहे थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति देकर सुपरवाईजर बनाया जाए और उन्हें पेन्शन, ग्रैच्युटी, भविष्य निधि तथा एक्स ग्रेशिया जैसे सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।

# फ्रांस में श्रमिकों तथा कर्मचारियों के आंदोलन ने जोर पकड़ा

फ्रांस की यूनियनें सरकार के पेन्शन सुधारों के कार्यक्रम के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर रही हैं। पिछले एक महीने में चलाया जा रहा यह तीसरा आंदोलन है। देश के पांच ट्रेड यूनियन संगठनों – सीएफडीटी, सीएफटीसी, एफएसयू, सोल्जर्स एण्ड यूएनएसए ने श्रमिक वर्ग को सरकार द्वारा पेन्शन योजना में लाए जा रहे सुधारों के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाते रहने का आह्वान किया है। सरक़ार पेन्शन सुधारों के साथ–साथ सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल से बढ़ा कर 62 साल करने की योजना भी बना रही है। इस आंदोलन का आरम्भ सभी शहरों में श्रमिकों की विशाल रैलियों के रूप में हुआ जिनमें 35 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था।

# अखिल भारतीय आशा कर्मचारी समन्वय समिति

अखिल भारतीय आशा कर्मचारी समन्वय समिति की बैठक 15 दिसम्बर 2010 को बीटीआर भवन, नई दिल्ली को आयोजित की गई। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश– 9 राज्यों से 17 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। अखिल भारतीय मिड डे मील वर्कर्स कोर्डिनेशन कमेटी की संयोजिका एवं सीआइटीयू कार्यसमिति सदस्य ए आर सिंधु ने बैठक को संबोधित किया।

कामरेड कंमलम्मा और छबि महतो को श्रद्धांजलि देने के पश्चात्, कमेटी की संयोजिका रंजना निरूला ने बहस के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं को कुछ निर्धारित कार्यों के लिए 800रू प्रतिमाह भुगतान कर रही है और केरल सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को 500 रू त्यौहार भत्ता देना आरम्भ किया गया है। राजस्थान सरकार आशा कार्यकर्ताओं को 950 रू प्रतिमाह भुगतान करती है। केंद्रीय सरकार वेतन निर्धारण के विचार का विरोध कर रही है, जबकि महिला सशक्तिकरण की संसदीय कमेटी और एनआरएचएम के मिशन स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा इसकी सिफारिशें की गई हैं। सरकार आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के बदले नए कार्य सौंपने का भी सुझाव दे रही है –उदाहरण के लिए एक कंडोम की बिक्री पर 40 पैसे प्रोत्साहन राशि का भुगतान। एक प्रैस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में आशाओं को एक रूपए की कमिशन पर एक पैकिट प्राक्टर एंड गैंबल का सैनिटरी नैपकिन बेचने के लिए कहा जा रहा है।

बैठक में कमेटी के सदस्यों ने रिपोर्ट किया कि लगभग सभी राज्यों में आशाएं अपनी मांगों के संघर्षों एवं प्रदर्शनों में लीन हैं। आंध्र प्रदेश में आशाओं की प्रोत्साहन राशि में कटौती और उनकी मांगों के लिए लगभग 70,000 आशा कर्मचारी 13 दिसम्बर 2010 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, उनकी इस हड़ताल के समर्थन में बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया और निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश में हड़ताली आशा कर्मचारियों के समर्थन में और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, सभी यूनियनें आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को टेलिग्राम भेजेंगी। रिपोर्ट किया गया कि केरल और हरियाणा में भी आशा कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इन राज्यों में आशाओं के लिए राज्य स्तरीय कक्षाएं भी आयोजित की गईं। उड़ीसा और उत्तराखंड में आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संयुक्त प्रदर्शन आयोजित किए गए। महाराष्ट्र में मानदेय तय करने की मांग पर 20 जिलों से लगभग 3000 आशा कर्मचारियों ने 13 दिसम्बर को नागपुर में प्रदर्शन किया। वर्तमान में असम, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और प0 बंगाल में नई यूनियनें बनाने की प्रक्रिया जारी है। जिन राज्यों में काफी समय से सम्मेलन नहीं हुए है वहां सम्मेलन किए जाऐंगे। बैठक में राज्यों द्वारा सदस्यता को 2011 तक बढ़कर एक लाख से अधिक करने का निर्णय लिया गया। 23 फरवरी 2011 के संयुक्त ट्रेड यूनियन मार्च के बाद दिल्ली में एक केंद्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कमेटी में यह भी निर्णय लिया गया कि कम से कम 4000 आशा कर्मचारी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त "संसद मार्च" में भाग लेंगे।

## हरियाणा में आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव

आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा ने 28 नवम्बर को झज्जर में न्यूनतम वेतन, पक्के रोजगार, प्रोत्साहन राशियों के शीघ्र भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, आशाओं से ली जा रही बेगार पर रोक लगाने, आशाओं का उत्पीड़न बंद करने और स्वास्थ्य के ढ़ांचे में सुधार और सुविधाओं के विस्तार आदि मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया और घेराव किया जो लंबे समय तक चला।

उल्लेखनीय है कि आशा वर्कर्स जो कि ज्यादातर गरीब परिवारों से हैं की प्रोत्साहन राशियों का भुगतान महीनों–महीनों तक नहीं होता है, न कोई सामाजिक सुरक्षा है न कोई न्यूनतम वेतन, स्वयं सरकार अपने विभागों में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है, आशा वर्कर्स, सीआइटीयू और प्रदेश की जनता यह अत्याचार सहन नहीं करेगी। नेताओं ने बताया कि जनता के इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाया जाएगा और इसी कड़ी में आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढ़ांचें में बुनियादी सुधार के लिए और सुविधाओं के विस्तार के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। हम फरवरी तक एक लाख हस्ताक्षर राज्य स्तरीय रैली करके मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को देगें।

सभा को सीटू नेता रामचन्द्र यादव, यूनियन की राज्य कैशियर सुनीता के साथ–साथ जिलों के अन्य कई नेताओं ने भी संबोधित किया। एस.डी.एम. झज्जर द्वारा मांगों पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा विस्तार से चर्चा करने के अश्वासन देने के बाद जन प्रतिनिधिमण्डल सभा समापन किया गया।

# कामरेड पापा उमानाथ का निधन

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति, तमिलनाडु में महिला आंदोलन की वरिष्ठ नेत्री तथा एडवा की संस्थापक नेताओं में से एक कामरेड पापा उमानाथ की अंतिम विदाई पर गहरा शोक व्यक्त करती है। उनकी मृत्यु 17 दिसम्बर को, कुछ ही दिन बीमार रहने के बाद हो गई थी। वह आजादी से पहले तथा आजादी के बाद भी मजदूर वर्ग के आंदोलनों के पुराने नेताओं में से थीं। उन्होंने अपनी युवावस्था के अनेक साल जेल में गुजारे थे और दशकों से महिला आंदोलनों की अगली कतारों में थीं। वे 81 साल की थीं।

पापा की मां का नाम लक्ष्मी था, और उनका मूल नाम धनलक्ष्मी था। एक चतुर व बहुत सक्रिय बालिका होने के नाते उन्होंने नेताओं व कार्यकर्ताओं का सहज स्नेह उन्हें हासिल हुआ। ये लोग अक्सर प्यार से उनसे पूछते – "पापा (बच्ची) तुम्हारा नाम क्या है"। जल्द ही उनका नाम पापा पड़ गया था। पापा, लक्ष्मी ( मूल नाम अलमेनु ) की बेटी थी। कामरेड लक्ष्मी ने जेल अधिकारियों के दमन के खिलाफ जेल में भूख हड़ताल करते हुए 23वें दिन प्राण त्याग दिए थे। जेल अधिकारियों ने उनसे कहा कि वे अपनी मां के अंति दर्शन कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी छोड़नी पड़ेगी। पापा ने यह शर्त नामंजूर कर दी। वह सिर्फ 12 वर्ष की थीं, जब पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, रेल मजदूरों के साथ उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा कर दिया। 1946 की रेल मजदूरों की हड़ताल के दौरान भी वह रेल मजदूरों के साथ थीं और उन्होंने पोनमलाई में पुलिस की गोली से 5 मजदूरों के मारे जाने का नज़ारा भी देखा था। अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति इस दिवंगत नेत्री को हार्दिक श्रद्धांजलि, और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करती हैं।

# कामरेड एम के कमलम्मा का निधन

कामरेड एम के कमलम्मा, अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीआइटीयू) की सदस्या एवं सीआइटीयू केरल राज्य समिति की पदाधिकारी थीं। काफी बीमारी के कारण 2 अक्टूबर 2010 को उनका निधन हो गया। 2 जून 1947 को कोट्टयम, केरल में कामरेड कमलम्मा का जन्म हुआ था और ये श्री माधवन और भवानीअम्मा की पहली पुत्री थीं। उन्होंने कारीगरों को संगठित करने और केरल में कारीगरों की मजबूत यूनियन बनाने में काफी योगदान दिया। वे सीआइटीयू केरल राज्य समिति की सदस्या 1984 में बनीं। वे सीआइटीयू अखिल भारतीय कार्यसमिति की सदस्या भी थीं। वे 1986 में सीपीआई(एम) की सदस्य बनीं तथा एडवा की राज्य समिति की सदस्या भी थीं। वे जिला पंचायत में भी चुनी गई थीं। उनका परिवार मजदूर वर्ग से था, उन्होंने कोट्टयम के बीसीएम कॉलेज से समाजशास्त्र में स्नातक किया। उस समय शिक्षित महिलाओं की संख्या बहुत की कम होती थी।

सामाजिक बदलाव और मजदूर वर्ग के आंदोलनों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन केरल के मजदूर वर्ग के नाम लिख देने का फैसला लिया था। 1965 के बाद से गरीब दस्तकारों के परिवारों की महिलाओं के बीच काम किया। 1968 में वे केरल आर्टिसन यूनियन से संबंद्धित हो गई थीं। वे जल्द ही यूनियन के नेतृत्व में आईं और इसकी उपाध्यक्ष बन गईं।

उन्होंने महिला मजदूरों को संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया और वे इस प्रयास में अर्थात् महिला मजदूरों को संगठित करने, और उनहें राजनैतिक रूप से शिक्षित करने में सफल भी हुईं। जिनमें से बहुत सी महिला मजदूर आज यूनियन तथा सीआइटीयू की पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी हैं। अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति इस दिवंगत नेत्री को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती है, और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है।

# दोषियों को सजा दो, लूट को वसूल करो

इस गणतंत्र दिवस पर हमारा देश अपने संविधान को अपनाए हुए 60 वर्ष पूरे करने जा रहा है, और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए–2 सरकार इस सवैधानिक व्यवस्था को खिसकाने में गंभीरता से जुटी हुई है। पिछले साल में तमाम घोटालों का बाप – 2 जी घोटाला सामने आया, इसके साथ ही साथ अवैध खनन घोटाले, भूमि आवंटन घोटाले, आईपीएल घोटाला, कॉमनवैल्थ खेल घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला आदि कितने ही घोटाले सामने आए हैं। 2–जी स्पैक्ट्रम घोटाले में ही सरकारी खजाने को 1.76 लाख, करोड़ रू का चूना लगाए जाने का अनुमान है। इतने में बात खत्म नहीं हो जाती, इसमें बहुत से उद्योगों के फायदों की गुणा भाग भी शामिल है, जिसका बहुत व्यापक रूप में खुलासा हुआ है – इसमें बहुत से सत्तावर्ग के बड़े बड़े नेता, कोरपोरट, ब्यूरोक्रैट और मीडिया भी शामिल हैं। नीरा रॉडिया टेपों ने बड़ी पूंजी और सरकार के नाभि–नाल संबंधों को बड़े विस्तार से उजागर कर दिया है। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े घोटाले – 2 जी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी कमेटी के गठन की समूचे विपक्ष की मांग को सरकार के हठधर्मितापूर्ण इंकार के चलते ही, संसद के शीतकालीन सत्र के बर्बाद हो जाने की अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी में इसी समझदारी का अनुमोदन किया है। याद रहे 2001 में श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन एनडीए सरकार ने स्पैक्ट्रम आवंटन के लिए 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति अपनाई थी, जिसकी पड़ताल किए जाने की जरूरत है।

जब भी जनता की आधारभूत मांगों को पूरा करने की बात आती है या जनता के भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राशन प्रणाली को सर्वव्यापी बनाने की बात की जाती है या फिर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात आती है तब सरकार आर्थिक संसाधनों की कमी का ज़ोर–ज़ोर से रोना रोने लगती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के किसी मंत्री द्वारा बहुत बड़ा घोटाला करने पर न्यायालय उनसे जवाब मांगता है तब प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं।

हमारी संवैधानिक व्यवस्था में एकमात्र संसद ही है जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए संयुक्त संसदीय समिति को ही इसका अधिकार होगा कि जांच के बाद अपने निष्कर्षों के हिस्से के तौर पर नए नियम कायदों व कानूनों की भी सिफारिश करे। लेकिन सरकार जेपीसी के गठन को नकारती जा रही है, सभी जानते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है?

संसद की कार्यप्रणाली में रोड़ा अटकाने से कांग्रेस को ही फायदा हो सकता है, कि उसे दिन प्रतिदिन होने वाले भ्रष्टाचार के केसों और लगातार बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर, जनता को जवाब देने से भागना आसान होगा। यह सब हमारी संसदीय प्रणाली के लिए एक पूर्वसूचक अशुभ संकेत हैं।

CARTOONSCAPE

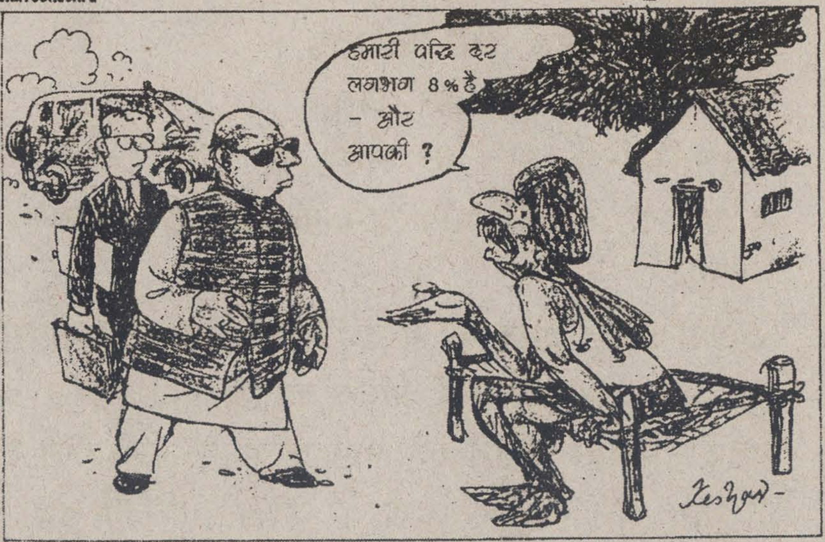


*साभार : द हिंदु*

ऐसे महाघोटालों के माध्यम से जनता के पैसे के इस लूट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके उत्तरदायि सभी लोगों को न केवल पहचाने जाने बल्कि उन्हें सज़ा देने की भी आवश्यकता है। ऐसा सारा बेंईमानी से मिला लाभ बरामद किया जाना चाहिए और सरकारी खजाने को लौटा दिया जाना चाहिए। अब केवल यही एक रास्ता है जिससे जनवादी गणतंत्र को बचाया जा सकता है और वो है कि मजदूर वर्ग और आम जनता बड़ी संख्या में लामबंद हों और सत्तावर्ग को करारी सीख दें, कि वे जनता के हित के लि काम करें।

# 23 फरवरी 2011 को
# संसद की ओर कूच करने का आह्वान

इंटक, एटक, एचएमएस, सीआइटीयू, एआइयूटीयूसी, टीयूसीसी, एआइसीसीटीयू तथा यूटीयूसी इत्यादि केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक 5 अक्टूबर 2010 को नयी दिल्ली में हुई। बैठक में 7 सितम्बर 2010 की ऐतिहासिक हड़ताल की समीक्षा की गई।

❖ **बेतहाशा बढ़ रही महंगाई,**
❖ **श्रम कानूनों के उल्लंघन,**
❖ **सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ पर चलने वाले उपक्रमों के विनिवेश,**
❖ **छंटनी, बैठकी और श्रम के घोर ठेकाकरण/आउटसोर्सिंग के विरुद्ध और**
❖ **असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए,**

जो आज देश की श्रम शक्ति का 90 प्रतिशत से अधिक भाग है, पर्याप्त केन्द्रीय कोष उपलब्ध कराने की मांग के लिए आयोजित ऐतिहासिक देशव्यापी हड़ताल में भाग लेने के लिए देश के लाखों श्रमिकों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों का हार्दिक अभिनन्दन किया गया वहीं इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया कि सरकार उपरोक्त पांच सूत्रीय मांगों को अमल में लाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए बैठक में सभी श्रमिक संगठनों के इस संयुक्त संघर्ष को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए देश भर के श्रमिकों तथा मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों को 23 फरवरी, 2010 को **"संसद की ओर कूच करने"** का आह्वान किया गया है।

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने देश के मेहनतकश अवाम तथा सभी यूनियनों/फैडरेशनों को अपनी–अपनी सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर संसद की ओर कूच करने के कार्यक्रम को जोरदार तरीके से सफल करने का आह्वान किया है।

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित